<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 7/25/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5,संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 31 दिसंबर,2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
<u>मामला सं. एडी (एए) 02/2023</u>

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अनट्रीएटेड फूम्ड सिलिका" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलनरोधी समीक्षा जांच।

1. **फा. सं. 7/25/2023-डीजीटीआर-** समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए कैबोट सनमार लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित और शैनडोंग डोंगयुवे सिलिकॉन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "संबद्ध निर्यातक" कहा गया है) द्वारा उत्पादित "अनट्रीएटेड फूम्ड सिलिका" (जिसे आगे " "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 29(2) के अनुसार जहां पाटनरोधी शुल्क के अधीन कोई वस्तु ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति में भारत में आयातित होती है, जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समामेलन माना जाता है, जो इस प्रकार शुल्क को निष्प्रभावी बना देती है या बना सकती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा करने के बाद पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्आकलन करने के पश्चात शुल्क

के रूप या आधार और/या पाटनरोधी शुल्क की राशि में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से पर्याप्त साक्ष्य सहित किए गए किसी आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को शुल्क के समामेलन के कारण निष्प्रभावी किया गया या किया जा सकता है।

क. पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से अनट्रीएटेड फूम्ड सिलिका के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच दिनांक 22 सितंबर, 2020 की अधिसूचना द्वारा शुरु की गई थी। अंतिम जांच परिणाम फा.सं. 6/40/2020 दिनांक 20 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्राधिकारी ने उत्पाद के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी उपाय लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 नवंबर, 2021 के जरिए पाटनरोधी शुल्क लगाया था। उक्त शुल्क 10 नवंबर, 2026 को समाप्त होने के लिए निर्धारित है। निम्नांकित तालिका वर्तमान में लागू शुल्क को दर्शाती है।

क्र.सं.	देश	उत्पादक	राशि
1	चीन जन.गण.	शानडोंग डोंगयुई सिलिकान मैटिरयल कंपली लिमिटेड	1,018 डा./मी.ट.
2	चीन जन.गण.	वाकर केमिकल्स फूम्ड सिलिका (झंगजियागंग) कंपनी लिमिटेड	शून्य
3	चीन जन.गण.	कोई अन्य	1,296 डा./मी.ट.
4	कोरिया गणराज्य	ओसीआई कंपनी लिमिटेड	शून्य
5	कोरिया गणराज्य	कोई अन्य	373 डा./मी.ट.

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. पाटनरोधी शुल्क के अधीन विचाराधीन उत्पाद का दायरा प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया था:

3. इस आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "अनट्रीएटेड फूम्ड सिलिका" है। साइलोन यौगिक के एक वैपर फेस फ्लेम हाइड्रोलिसिस से विनिर्मित सिंथेटिक सिलिका को प्रसिद्ध रूप में फूम्ड सिलिका के नाम से जाना जाता है। सिंथेटिक सिलिका का यह प्रकार अपने कार्यों और विनिर्माण प्रक्रिया तथा आवश्यक कच्ची सामग्री के कारण अन्य सिलिका से अलग होता है। यद्यपि, अन्य सिंथेटिक सिलिका एक तरल चरण में सिलिकेट विलयन से निर्मित होते हैं, तथापि फूम्ड सिलिका काफी उच्च तापमान पर गैस चरण में विनिर्मित होता है।

4. फूम्ड सिलिका को अनुपचारित और उपचारित फूम्ड सिलिका में वर्गीकृत किया जाता है। अनुपचारित फूम्ड सिलिका को 1800 डिग्री सेल्शियस के तापमान पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम में क्लोरोसिलेन फीडस्टॉक के फ्लेम हाइड्रोलेसिस द्वारा बनाया जाता है। यह प्रक्रिया श्रृंखला जैसे समग्र और ढेर के रूप में अद्वितीय संरचना वाली सिलिका का उत्पादन करती है।

5. अनट्रेएटेड फूम्ड सिलिका का एक बड़ा विशिष्ट सतह क्षेत्र होता है। 150 या 200 या 300 या 380 वर्गमीटर/ग्राम जैसे अपने सतह क्षेत्र के मान के आधार पर अनट्रीएटेड फूम्ड सिलिका को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त अलग अलग ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रेड 200 वर्गमीटर/ग्राम है, जिसके अनेक अनुप्रयोग हैं।

6. यह एक फ्री-फ्लोइंग पाउडर उत्पाद है, जिसके व्यापक प्रयोग होते हैं। अनट्रिएटेड फूम्ड सिलिका ठोस प्रणालियों फ्री फ्लो विशेषताओं में सुधार करता है और भेषजों में फ्री फ्लो और टेबलेट बनाने के एजेंट के रूप में प्रयोग होता है तथा खाद्य तथा कृषि रसायनों में एंटी-केकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। यह तरल स्वाद और सुगंध के वाहक के रूप में भी प्रयोग होता है। संबंधित उत्पाद किलोग्राम या मी.ट. के अनुसार व्यक्त निवल भार की दृष्टि से ठोस है।

7. फूम्ड सिलिका या सिलिकॉन डाई-ऑक्साइड को ध्याय 28, उपशीर्ष 28112200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। भारत में अनट्रिएटेड फुमेड सिलिका का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के

उपशीर्ष 28112190, 2839100 और अध्याय 34 के 34049090 के अन्तर्गत विभिन्न एचएस कोडों के अधीन भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रकृति का है।"

5. चूंकि वर्तमान आवेदन लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलनरोधी इस समीक्षा के लिए है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है, जैसा मूल जांच में परिभाषित था।

6. मूल जांच से पता चला था कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय पाए गए हैं। अतः, वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध निर्यातक से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>आवेदक</u>

7. समामेलनरोधी समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए वर्तमान आवेदन कैबोट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। इसके अलावा, आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देश से निर्यातक या भारत में आयातक से संबंधित है। आवेदक नियमावली के भीतर घरेलू उद्योग है।

घ. <u>समीक्षा का दायरा</u>

8. वर्तमान समामेलनरोधी समीक्षा जांच शैनडोंग डोंगयि सिलिकॉन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "संबद्ध निर्यातक" कहा गया है) द्वारा निर्मित चीन जन.गण. से निर्यात के संबंध में है।

ड. <u>समामेलन समीक्षा जांच के लिए आधार</u>

9. आवेदक ने दावा किया है कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं की कीमत में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद वृद्धि हुई है, इससे उत्पादन

लागत में वृद्धि हुई है, परंतु शैनडोंग डोंगयुई सिलकॉन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड से आयात कीमत में गिरावट आई है।

10. आवेदक ने दावा किया है कि क्योंकि तीसरे देशों को समान वस्तु के निर्यातों की निर्यातक-वार कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया गया है। वास्तव में, पाटनरोधी नियमावली के 29(1) के प्रावधान में निर्यात कीमत में गिरावट की तुलना तीसरे देशों को उत्पादन लागत या निर्यात कीमत में परिवर्तन या भारत में वस्तु की पुन: बिक्री कीमत से करनी होती है। अत:, यह आवश्यक नहीं है कि सभी तीन के लिए समामेलन के संबंध में निर्यात कीमत में गिरावट सिद्ध हो जाए।

11. आवेदक ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि दर्शाते हुए *प्रथमदृष्टया* सूचना दी है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथमदृष्टया* सूचना में उत्पादन लागत में अनुरूप गिरावट के बिना आयात कीमत में गिरावट दर्शाई गई है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क का समामेलन और पाटन तथा क्षति मार्जिन में परिणामी वृद्धि का पता चलता है।

12. नियमावली के नियम 29(3) के प्रावधान के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर समामेलनरोधी समीक्षा की शुरुआत का अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त नियम का परंतुक यह प्रावधान करता है कि दिए गए मामले में विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर लिखित में दर्ज कारणों के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी दो वर्षों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी जांच शुरुआत के आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं।

13. पाटनरोधी उपाय 11 नवंबर 2021 को लागू किए गए थे। समामेलनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन पाटनरोधी शुल्क लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर अर्थात सितंबर 2023 में दायर किया गया था। तथापि, आवेदक ने बाद में समामेलन की अवधि को अद्यतन किया है।

च. <u>समामेलन की अवधि</u>

14. वर्तमान समीक्षा के लिए समामेलन की अवधि जुलाई 2023 से जून , 2024 तक की मानी गई है। प्राधिकारी ऐसी अवधि में कीमतों की तुलना मूल जांच में जांच की अवधि की कीमतों के साथ करेंगे।

**छ.	<u>समामेलनरोधी समीक्षा जांच की शुरुआत</u>**

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और चीन जन.गण. से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन से संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी एतद्‌द्वारा शैनडोंग डोंगयुई सिलकान मैटिरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की मौजूदगी और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि या रूप में अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 30 के अनुसार संशोधन की सिफारिश करने के लिए एतद्‌द्वारा समामेलनरोधी समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

**ज.	<u>प्रक्रिया</u>**

16. वर्तमान समीक्षा जांच का दायरा केवल पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की पुन: गणना तक सीमित है। वर्तमान समीक्षा जांच में नियमावली के नियम 29,30 और 31 के अन्तर्गत यथा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नियम 6 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

**झ.	सूचना प्रस्तुत करना**

17. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों <u>dd15-dgtr@gov.in</u> और <u>dd19-dgtr@gov.in</u> एक प्रति के साथ <u>adv11-dgtr@gov.in</u> और <u>adg16-dgtr@gov.in</u> पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

18. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

19. नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस समीक्षा जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

21. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट https://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें।

ञ. समय सीमा

22. वर्तमान समीक्षा जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adg16-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों को (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

28. अगोपनीय अंश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

29. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीतया के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

30. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ठ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

ड. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या समीक्षा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी